

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN  
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Petition No. 8134/2025

Mahaveer S/o Sh. Ramret, R/o Kama, District Deeg (Raj.)

-----Accused/Petitioner

Versus

1. The State of Rajasthan, Through P.P.

-----Respondent

2. Rahul Sharma S/o Sh. Murarilal, R/o Anand Nagar, Police  
Station Kotwali Bharatur, District Bharatpur (Raj.)

-----Complainant

---

|                   |   |                              |
|-------------------|---|------------------------------|
| For Petitioner(s) | : | Mr. Sanjay Buri, Adv.        |
| For Respondent(s) | : | Mr. Vivek Choudhary, Dy.G.A. |
| For Complainant   | : | Mr. Anoop Kumar, Adv.        |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL**

**Order**

**09/02/2026**

- याची-अभियुक्त की ओर से उक्त एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका अंतर्गत धारा **528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता**, में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **523/2025**, पुलिस थाना- **सेवर**, जिला- **भरतपुर**, अपराध अंतर्गत धारा **319(2), 308(2) भारतीय न्याय संहिता** एवं उससे उद्भूत समस्त कार्यवाही को पक्षकारान के मध्य परस्पर राजीनामा होने के आधार पर रद्द एवं अपास्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।
- याची-अभियुक्त के अधिवक्ता एवं परिवादी राहुल शर्मा मय अधिवक्ता आज न्यायालय में उपस्थित हैं, उनके अधिवक्तागण ने संयुक्त रूप से कथन किया है कि पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है जो **एनेक्सर-2** के रूप में पत्रावली पर प्रस्तुत है एवं एक पृथक से राजीनामा प्रार्थना पत्र, पुलिस थाना सेवर में प्रस्तुत कर उसे भी प्रमाणित करवाया जा चुका है, पक्षकारों के मध्य अब कोई

विवाद शेष नहीं है, अतः धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अंतर्निहित शक्तियों के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 523/2025 एवं उससे उदभूत समस्त दाण्डिक कार्यवाही को राजीनामा होने के आधार पर रद्द एवं अपास्त किया जावे।

3. विद्वान उप-राजकीय अधिवक्ता ने उचित आदेश पारित किए जाने का निवेदन किया।
4. मैंने पत्रावली का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया।
5. हस्तगत प्रकरण में घटना के संबंध में दोनों पक्षों में निजी विवाद है, पत्रावली पर उक्त विवाद के कारण लोक शांति व लोक व्यवस्था को नुकसान हुआ हो, ऐसी कोई स्थिति मौजूद नहीं है, न्यायालय के विनम्र अभिमत में उक्त आपराधिक कार्यवाही के लम्बित रहने से किसी सार्थक न्याय के उद्देश्य की पूर्ति होना भी प्रकट नहीं होता है।
6. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय **Gian Singh Vs. State of Punjab [2012 (10) SCC 303]** में यह प्रतिपादित किया गया है कि:—

"Quashing of offence or criminal proceedings on the ground of settlement between an offender and victim is not the same thing as compounding of offence. They are different and not interchangeable. Strictly speaking, the power of compounding of offences given to a court under Section 320 is materially different from the quashing of criminal proceedings by the High Court in exercise of its inherent jurisdiction. In compounding of offences, power of a criminal court is circumscribed by the provisions contained in Section 320 and the court is guided solely and squarely thereby while, on the other hand, the formation of opinion by the High Court for quashing a criminal offence or criminal proceeding or criminal complaint is guided by the material on record as to whether the ends of justice would justify such exercise of power although the ultimate consequence may be acquittal or dismissal of indictment."

**Ramgopal Vs. The State of Madhya Pradesh reported in  
[2022 (14) SCC 531]**

"12. The High Court, therefore, having regard to the nature of the offence and the fact that parties have amicably settled their dispute and the victim has willingly consented to the nullification of criminal proceedings, can quash such proceedings in exercise

of its inherent powers under Section 482 Cr.P.C., even if the offences are noncompoundable."

7. प्रस्तुत मामले में उक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में, प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों, दोनों पक्षों के मध्य विवाद की प्रकृति, वर्तमान में दोनों पक्षों के मध्य सौहार्दपूर्ण स्थिति एवं दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा को देखते हुए धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हस्तगत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या— 523/2025, पुलिस थाना सेवर, जिला भरतपुर एवं उससे उद्भूत समस्त दाण्डिक कार्यवाही को अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।
8. अतः यह याचिका स्वीकार की जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 523/2025, पुलिस थाना— सेवर, जिला— भरतपुर, अपराध अंतर्गत धारा 319(2), 308(2) भारतीय न्याय संहिता एवं उससे उद्भूत समस्त दाण्डिक कार्यवाही को राजीनामा होने के आधार पर रद्द एवं अपास्त किया जाता है।
9. उक्त याचिका उपरोक्त अनुसार निस्तारित की जाती है एवं प्रकरण से संबंधित प्रार्थना पत्र, यदि कोई लंबित हो तो, उन्हें भी निस्तारित किया जाता है।

**(BHUWAN GOYAL),J**